भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*तारांकित प्रश्न संख्या \*5.*

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**नदियों को पूर्णत: प्रदूषण मुक्त करने के लिए नर्इ पहल**

**\*5. डा. जनार्दन वाघमरे:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा एवं यमुना नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करोडो़ं रुपए खर्च किए हैं और इसका कोर्इ भी ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यमुना नदी प्राधिकरण तथा गंगा नदी प्राधिकरण नदियों में प्रदूषण को रोक पाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो नदियों को पूर्णत: प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार किन-किन नये उपायों पर विचार कर रही है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*\*

**'नदियों को पूर्णत: प्रदूषण मुक्त करने के लिए नर्इ पहल' के संबंध में दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए डा. जनार्दन वाघमरे द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 5 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) और (ख) नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सतत तथा सम्मिलित प्रयास है । यह मंत्रालय, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी आधार पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अन्तर्गत गंगा और यमुना सहित विभिन्न नदियों के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करता रहा है । एनआरसीपी के अंतर्गत इस समय 9336.87 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर 20 से भी अधिक राज्यों में फैले 195 शहरों की 42 नदियों का प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा चलाई गईं विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अशोधित मल-जल का अवरोधन तथा अपवर्तन, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय सुविधाओं का निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ के शवदाहगृहों की स्थापना और नदी तटाग्रों का विकास शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 4814.80 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

 गंगा कार्य योजना (जीएपी), जो एनआरसीपी का एक भाग है, का कार्यान्वयन वर्ष 1985 से चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है जिसमें गंगा नदी के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन कार्यकलाप किये जा रहे हैं । जीएपी के चरण-। और चरण-।। के अन्तर्गत गंगा नदी के संरक्षण पर अब तक कुल 938.61 करोड़ रु. का व्यय हुआ है । जीएपी के अन्तर्गत 1098 एमएलडी की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई है । गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद, अब तक पूर्ण किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों की वजह से, बड़े निगरानी स्थलों पर गंगा कार्य योजना से पूर्व की जल गुणवत्ता की तुलना में बायो-कैमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) मान की दृष्टि से जल गुणवत्ता में सुधार होने की सूचना है । तथापि, अनेक स्थलों पर बीओडी और बैक्टेरियल संदूषण का स्तर (फीकल कालीफार्म की दृष्टि से) अभी भी अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक होने की सूचना है ।

 इसी प्रकार, यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए, यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अन्तर्गत वर्ष 1993 से चरणबद्ध रीति से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । वाईएपी के चरण-। और चरण-।। के अन्तर्गत 1453.17 करोड़ रू. की लागत से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य पूर्ण किए गए हैं । इस योजना के अन्तर्गत 942.25 एमएलडी की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई है । मल-जल शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर होने और नदी में ताजा जल की कमी के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया है।

(ग) वर्ष 1985 से नदी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आलोक में, सरकार द्वारा संरक्षण कार्य-नीति की समीक्षा की गई है । तदनुसार, एक सम्यक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और गंगा नदी का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2009 में एक अधिकार प्राप्त, आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण के रुप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया है । अभी तक, एनजीआरबीए के अन्तर्गत राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3031 करोड़ रु. की लागत से 56 स्कीमें मंजूर की गई हैं । राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 730.27 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है जिसमें से सितम्बर, 2013 तक 785.16 करोड़ रु. (राज्य के हिस्से सहित) का व्यय किया गया है ।

 इस मंत्रालय द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से ऋण सहायता से 1656 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर दिल्ली के लिए यमुना कार्य योजना चरण-।।। परियोजना अनुमोदित की गई है । इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने दिल्ली से ऊपर स्थित, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत शहरों में यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 217.87 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं ।

 राज्य सरकारें एनआरसीपी तथा एनजीआरबीए के अंतर्गत उन्हें मिल रही सहायता तथा अपने स्वयं के बजटीय आबंटनों के अतिरिक्त भी, शहरी विकास मंत्रालय की जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) और यूआईडीएसएसएमटी (छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न शहरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित मल-जल अवसरंचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं ।

 औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है । एनजीआरबीए के अन्तर्गत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा और इसकी सहायक नदियों काली-ईस्ट तथा रामगंगा के मुख्य भाग पर अवस्थित राज्यों में 764 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की पहचान की है । इन 764 जीपीआई में से, सीपीसीबी द्वारा 683 का निरीक्षण किया गया है और अनुपालन न करने वाले 170 उद्योगों के विरूद्ध संगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।